सीसीटीएनएस

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्र सं0टीएस–सीसीटीएनएस–59–2012 दिनॉंक:अगस्त 11 ,2014

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/
परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

"क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम" (सीसीटीएनएस) योजना के अन्तर्गत एन0आई0आई0टी0 द्वारा डीजल जेनरेटर उपलब्ध कराये गये है जिसके संचालन हेतु निम्नलिखित एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही की जाय:–

S.O.P

1– प्रत्येक माह कुल 8 घन्टे X 30=240 घण्टे (औसतन प्रतिदिन 08 घण्टे) तथा 12 लीटर X 30 =360 लीटर (औसतन प्रतिदिन 12 लीटर) डीजल खर्च कर जेनरेटर चलाया जा सकता है ।

2– थानों पर उपलब्ध कराये जाने वाले डीजल जेनरेटर को चलाने के लिए पी0ओ0एल0 पर आने वाले खर्च के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद का पत्र सं0–उन्नीस–65 (सीसीटीएनएस)–2014 दिनांक 20–6–2014 के द्वारा वर्ष 2014–15 में लेखा शीर्षक–2055–पुलिस अयोजनेत्तर–109–जिला पुलिस–05– एवं जिला पुलिस–07–जिला पुलिस(थाना)–15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद के अन्तर्गत आवंटित किये गये अनुदान से जेनरेटरों के संचालन पर (डीजल पर) होने वाले व्यय को वहन करने की व्यवस्था है । (पत्र संलग्न)

3– थाने पर डीजल जेनरेटर के परिचालन हेतु डीजल खपत, स्टॉक रजिस्टर एंव रन रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार किया जायेगा।

4– समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किया जाय।

5– निर्धारित सर्विस मानकों के अनुसार 50 घण्टे के उपयोग की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम सर्विस के बाद ही उपयोग किया जाना OEM अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित है।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

11/8/14

(आर0के0 विश्वकर्मा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें,मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:–

1– अपर पुलिस निदेशक, मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ ।

2– पुलिस महानिरीक्षक,तकनीकी सेवायें,मुख्यालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3– पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें,मुख्यालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4– समस्त वरि0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर इस पत्र की छाया प्रति समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी को उपलब्ध कराते हुए उपरोक्तानुसार अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।